



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 69-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 23, 2019 (VAISAKHA 3, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अप्रैल, 2019

संख्या 55/एस०टी०-1/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2019 .- चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है ;

इसलिए, अब, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, प्रथम अप्रैल, 2019 से उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची छ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,-

1. अनुसूची छ में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4(घ) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“ 4(घ)	बोतल के रूप में (बी०आई०ओ०) आयातित विदेशी मदिरा (आईएफएल) प्रविष्टि 5 में आने वाली के सिवाए ।	दस प्रतिशत जमा पांच प्रतिशत अधिभार	जब राज्य में किसी व्यवहारी द्वारा प्रथम बार बेची जाने पर तथा किसी अनु-1खच (अनुज्ञप्तिधारी) व्यवहारी द्वारा सभी बिक्रियों पर : परन्तु अनु-1खच (अनुज्ञप्तिधारी) व्यवहारी द्वारा किसी भी व्यवहारी को बेचे गए ऐसे मालों पर कोई भी जमा निवेश कर अनुज्ञेय नहीं होगा।” ।
--------	---	------------------------------------	--

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd April, 2019

No. 55/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2019.— Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 read with proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule G appended to the said Act with effect from the 1st April, 2019, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

- (1) in Schedule G, under columns 1, 2, 3 and 4, against serial number 4(d) and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“4 (d)	Imported Foreign Liquor (IFL) bottled in Origin (BIO) Except covered under entry 5.	Ten percent plus five percent surcharge	When sold by any dealer for the first time in the State and all sales by an L-1BF (Licensee) dealer Provided no Input Tax Credit shall be admissible to any dealer subsequent to L-1BF (Licensee) dealer on sale of these goods.”.
--------	---	---	--

SANJEEV KAUSHAL,
 Additional Chief Secretary to Government Haryana,
 Excise and Taxation Department.